संख्या ए-12023/2/2023-प्रशा.IV-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

'ए' विंग, पाँचवा तल, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 16 नवंबर, 2023

रिक्ति परिपत्र

विषय: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में न्यायिक सदस्यों के पदों पर चयन-आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में

1. **अधिकरण :** राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 की धारा 61, आईबीसी, 2016 की धारा 202 और 211 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के निर्णयों/आदेशों के विरुद्ध विभिन्न अपीलों की सुनवाई के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत गठित एक अपील अधिकरण है। एनसीएलएटी की मुख्य पीठ नई दिल्ली मे स्थित है और दूसरी पीठ चेन्नई में स्थित है। अन्य पीठ, यदि कोई हो, तो देश के अन्य भागों में गठित की जाएगी, जैसा भी निर्णय होगा। चयन के पश्चात, कोई सदस्य इनमें से किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
2. **रिक्ति** : निम्नलिखित रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं (रिक्तियों की संख्या बिना पूर्व नोटिस के परिवर्तनाधीन है):-

पद	रिक्तियों की संख्या	स्थान	रिक्ति की तारीख
न्यायिक सदस्य	02	नई दिल्ली या चेन्नई या अन्य पीठें, यदि कोई हों, जो भविष्य में देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जाएगी।	रिक्तियां 2024 में उत्पन्न होंगी

3. **अर्हताएं और अन्य निबंधन एवं शर्तें** : अभ्यर्थी की अर्हताएं, पात्रता, वेतन और नियुक्ति की अन्य निबंधन और शर्तें, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के उपबंधों द्वारा शासित होंगी। मुख्य निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं :

(i) अर्हताएं [अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 का उप-नियम 11] :-

न्यायिक सदस्यः-

(i) जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रहा हो; या

(ii) पांच वर्ष तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का न्यायिक सदस्य रहा है या

(iii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी मामलों से संबंधित मामलों में मुकद्मे में पर्याप्त अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है।

(ii) वेतन और भत्ते {अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 का नियम 10 और 11}:- सदस्य को यथास्वीकृत भत्ते सहित दो लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा।

(iii) सेवा अवधि (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 5):- अधिकरण के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

(iv) न्यूनतम आयु (अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)):- कोई व्यक्ति एनसीएलएटी में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि आवेदन जमा करने के लिए उन्होंने अंतिम तारीख को **50 (पचास वर्ष)** पूरे न कर लिए हों।

[**टिप्पण**: अन्य निबंधन और शर्तों के लिए अभ्यर्थी अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 और अधिकरण (सेवा शर्तें) नियम, 2021 देखें]

4. **चयन की प्रक्रिया:-** उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के तहत गठित छानबीन-सह-चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता और अनुभव को सम्यक वेटेज देते हुए पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी तथा वैयक्तिक अंत:क्रिया के लिए अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची बनाएगी। अंतिम चयन समिति द्वारा योग्यता, अनुभव और वैयक्तिक अंतःक्रिया पर आधारित अभ्यर्थियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

5. **आवेदन की प्रक्रिया:-** पात्र और इच्छुक व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दिनांक 21.11.2023 को पूर्वाह्न 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु https://apptrbmembermca.gov.in पोर्टल देखें। ऑनलाइन आवेदन प्ररूप भरने के लिए विस्तृत अनुदेश ('ऑनलाइन आवेदन' हेतु दिशा-निर्देश' शीर्षक के तहत) पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आवेदन भरते समय सभी अपेक्षित और संगत दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किए जाने की आवश्यकता है। **आनलाइन आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 19.12.2023 को अपराहन 5:30 बजे** तक है। ऑनलाइन पोर्टल पर विधिवत रूप से परिपूर्ण एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का प्रिंट आउट, हस्ताक्षरित प्रतियां सहित निम्नलिखित पते पर 29 दिसंबर, 2023 को अपराहन 05:30 बजे तक भेजी जानी अपेक्षित है:

श्री रियाजुल हक, अवर सचिव,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 526, ए विंग,
5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

6. किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/न्यायालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक और स्वायत्त निकायों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए आवेदन के साथ (i) आवेदन के **अनुलग्नक-I** के रूप में नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र (ii) समूह क अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित न्यूनतम पिछले पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर वाले अधिकारी के अप-टू-डेट सीआर/एपीएआर की स्वच्छ

फोटो प्रतियां (iii) संवर्ग स्वीकृति (iv) आवेदन के **अनुलग्नक-II** के रूप में सतर्कता और अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र/स्वीकृति (v) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई किसी बड़ी या छोटी शास्तियां, यदि कोई हो, का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न किया जाना चाहिए। उपरोक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पैरा 5 में उल्लिखित पते पर 29.12.2023 को अपराह्न 5:30 बजे तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।

7. साक्षात्कार/परिचर्चा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए ग्राहय नहीं होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि अपनी व्यवस्था स्वयं करें।

8. निर्धारित तारीख के पश्चात् तथा उपरोल्लिखित आवश्यक अनुलग्नक के बिना प्राप्त किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Rlag

(रियाजुल हक)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23381349

सेवा में,

1. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार
2. सचिव, भारत सरकार, सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार
3. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सभी प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक
5. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (इस अनुरोध के साथ कि इस रिक्ति परिपत्र को एनसीएलएटी की वेबसाइट पर अपलोड करें)
6. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
7. सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
8. अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
9. सचिव, राष्ट्रीय वितीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
10. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमसीए को रिक्ति परिपत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
11. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को रिक्ति परिपत्र डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
12. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को रिक्ति परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

<u>अनुलग्नक-I</u>

(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण-पत्र)

1. प्रमाणित किया जाता है कि .... द्वारा दी गई विशिष्ट जानकारी सही है तथा वह अनुलग्नक-I उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध सतर्कता या अनुशासनात्मक का मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है और सीवीओ द्वारा जारी की गई सतर्कता अनापत्ति अनुलग्नक (II) में संलग्न है।

3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

4. पिछले 10 वर्षों के दौरान श्री/श्रीमती/कु. ....पर कोई प्रमुख या गौण शास्ति आरोपित नहीं की गई है।

5. श्री/श्रीमती/कु. ....के संबंध में पिछले वर्षों की एसीआर//एपीएआर की अप-टू-डेट सत्यापित फोटोस्टेट प्रतियाँ (एसीआर/एपीएआर की प्रत्येक फोटोस्टेट प्रति सत्यापित होनी चाहिए) इसके साथ संलग्न हैं।

संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर

उन अधिकारियों का विवरण जिनके लिए सतर्कता अनापत्ति मांगी गई है

(सीवीओ या एचओडी द्वारा प्रस्तुत और हस्ताक्षर किए जाने के लिए)

1. अधिकारी का नाम (पूरा) :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. सेवानिवृत्ति की तारीख :
5. सेवा में प्रवेश की तिथि :

6. अधिकारी से संबंधित सेवा बैच/वर्ष/कैडर आदि सहित, जो भी लागू हो। :

:

7. धारित पद (पूर्ववर्ती 10 वर्षों के दौरान)

क्र.सं.	संस्था (पूरा नाम)	पदनाम तथा तैनाती का स्थान	संबंधित प्रशासन/नोडल मंत्रालय/विभाग (पीएसयू के अधिकारी के संबंध में)	से	तक

8. क्या अधिकारी को सहमति सूची या संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची में रखा गया है (यदि हां, तो ब्यौरा दें) :

9. क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता दृष्टिकोण सहित कदाचार के किसी भी आरोप की जांच की गई थी? यदि हां, तो क्या परिणाम था (*) :

10 क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी और यदि हां, तो लगाए जाने की तारीख और दंड का ब्यौरा दें (*) :

:

11. क्या अधिकारी के विरुद्ध आज की तारीख में कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही या आरोप पत्र लंबित हैं (यदि है, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ संख्या सहित, यदि कोई आयोग का है) :

:

12. क्या आज की तारीख के अनुसार अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का विचार है (यदि हां, तो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए) (*)

(*) यदि आयोग से विगत में सतर्कता अनापत्ति प्राप्त की गई है, तो उसके बाद की अवधि की जानकारी प्रदान की जाए।

तारीख :

(नाम एवं हस्ताक्षर)